

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013—भाद्र 22, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 6th September 2013

No. Q-1.—In exercise of the powers conferred by articles 225 of the Constitution of India, Section 54 of the States Reorganisation Act, 1956, clauses 27 & 28 of the Letters Patent, the High Court of Madhya Pradesh makes following amendment in Format No. 11, 13 and 14 in Cause Title, just below the Heading of the application under Section 389 (1)/438/439 respectively of the Code of Criminal Procedure, 1973 in “ The High

Court of Madhya Pradesh Rules, 2008”, which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

In Format No. 11, 13 and 14 in Cause Title, just below the Heading of the application respectively under Section 389 (1)/438/439 of the Code of Criminal Procedure, 1973, following amendment shall be inserted :—

Whether any Bail application is pending before or already disposed of by (if yes, give particulars)	Particular of Bail application		
	No.	Date of Order	Result
Hon’ble Supreme Court of India			
Hon’ble High Court(s).			
Court(s) subordinate to High Court(s).			

VED PRAKASH, Registrar General.

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2013

संशोधन

क्रमांक भसंकमं 2501 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, प्रसूविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में अधिसूचित समस्त योजनाओं में वर्तमान प्रावधानों एवं हितलाभ के स्वीकृति के अधिकार संबंधी सुसंगत कण्डिकाओं में संशोधन कर क्षेत्रीय स्तर पर एतद् द्वारा यथा प्रत्यायोजित करता है:-

सारणी

1. निम्न सारणी के कॉलम-(2) में उल्लेखित प्रभावशील योजनाओं में कॉलम-(3) दर्शाये गये अनुसार योजनाओं में अंकित स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के स्थान पर कॉलम-(5) में दर्शाये गये स्वीकृत अधिकारियों को कॉलम-(6) में अंकित निर्धारित सीमा तक के लिये स्वीकृत के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं:-

क.	योजना	प्रावधान		प्रशासकीय/वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन		योजना हेतु नोडल विभाग
		वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन प्रावधान	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन प्रावधान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रसूति सहायता योजना	छः सप्ताह के प्रसूति अवकाश एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रू. 5 हजार की सहायता अधिकतम दो प्रसूतियों तक	1. प्रसूता के प्रसूति अवकाश के रूप में 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि श्रम विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से अकुशल श्रमिक के लागू न्यूनतम वेतन के आधार पर गणना कर देय होगी। 2. शिशु के पिता को पितृत्व अवकाश के एवज में 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि श्रम विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से लागू अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के आधार पर गणना कर देय होगी। 3. योजना के अंतर्गत	ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्रों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी/श्रम विभागीय अधिकारी	समस्त सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडीकल कालेज अस्पताल/ विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			सहायता अधिकतम तीन प्रसूतियों तक देय होगी। 1. प्रसूति उपरांत महिला श्रमिक को रु. 1000 पौस्टिक आहार हेतु।			
2.	चिकित्सा सहायता योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उसके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य शासन की निम्न योजनाओं के समकक्ष हितलाभ अधिकतम रु. 3 लाख तक देय— 1. जननी सुरक्षा योजना 2. दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना 3 राज्य जिला/बीमारी सहायता निधि	यथावत	रु. 30 हजार तक—ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र— आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ नगरपालिका/नगर पंचायत एवं श्रम विभागीय अधिकारी रु. 30 हजार से 1 लाख तक— ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रु. 1 लाख से 2 लाख तक — संभागीय आयुक्त रु. 2 लाख से 3 लाख तक विभागाध्यक्ष, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	समस्त सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडीकल कालेज अस्पताल/ विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3.	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	कक्षा 1 से 5 छात्र— 500/— छात्रा—750/— कक्षा 6 से 8 छात्र— 750/— छात्रा—1000/—	कक्षा 1 से 5 छात्र— 500/— छात्रा—800/— कक्षा 6 से 8 छात्र— 1000/— छात्रा—1200/—	शासकीय विद्यालयों में संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा निजी विद्यालय में प्राचार्य की अनुशंसा पर संकुल शाला के	संकुल केन्द्र प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य/ प्राधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक	स्कूल शिक्षा विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		कक्षा 9 से 12 छात्र- 1000/- छात्रा-1500/-	कक्षा 9 से 12 छात्र- 1200/- छात्रा-1700/-	प्राचार्य द्वारा।	शाला	
4.	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना	कक्षा 5 से स्नातकोत्तर तक छात्र- 500/-से रु. 3000/- छात्रा- 750/-से रु. 3000/-	यथावत	शासकीय विद्यालयों में संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा निजी विद्यालय में प्राचार्य की अनुशंसा पर संकुल शाला के प्राचार्य द्वारा।	संकुल केन्द्र प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य/प्राधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला	---तदैव---
5.	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना	सामान्य मृत्यु- रु. 25 हजार निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु रु. 1 लाख निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में स्थायी अपंगता- रु. 75 हजार	रु. 30 हजार रु. 75 हजार दो-दो अंग नष्ट होने पर - रु. 75 हजार एक-एक अंग नष्ट पर रु. 37,500/-	ग्रामीण क्षेत्र- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहरी क्षेत्र- आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगरपालिका/नगर पंचायत	ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र - आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगरपरिषद	सामाजिक न्याय विभाग
		अंत्येष्टि सहायता रु. -2000	रु0 - 3000	---तदैव---	ग्राम पंचायत नगरीय निकाय	सामाजिक न्यायविभाग
6	विवाह सहायता योजना	रु. 10 हजार एवं समूहिक विवाह की स्थिति में रु. 9 हजार एवं रु. 1 हजार आयोजक को तीन पुत्रियों तक	रु. 15 हजार एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में रु. 13 हजार एवं रु. 2 हजार आयोजक को। (मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के समकक्ष पुत्रियों की सीमा समाप्त एकल विवाह तभी मान्य जबकि पंजीकृत श्रमिक द्वारा कन्या का	ग्रामीण क्षेत्र- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहरी क्षेत्र- आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य नगरपालिका	(यथावत)	---तदैव---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			विवाह अपने निवास स्थान से बाहर जाकर किया गया हो।	अधिकारी/ नगरपालिका/नगर पंचायत		
7.	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन	1. प्रथम पंजीयन 3 वर्ष हेतु 2. अभिदाय शुल्क रु. 15/-	1.पंजीयन 5 वर्ष हेतु 2. अभिदाय शुल्क रु. 15/-	ग्रामीण क्षेत्र- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहरी क्षेत्र- आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ नगरपालिका/नगर पंचायत एवं श्रम विभागीय अधिकारी	ग्रामीण क्षेत्र- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहरी क्षेत्र- जहां श्रम पदाधिकारी पदस्थ है वहां प्राधिकृत श्रम अधिकारी, जहां श्रम अधिकारी पदस्थ नहीं है - आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी	श्रम विभाग

- नोट :
1. शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत राशि वर्ष में दो बार माह सितम्बर एवं फरवरी में भुगतान की जायेगी।
 2. जिन छात्रों को मण्डी बोर्ड एवं म.प्र.भवन एवं अन्य संमिनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल दोनों योजनाओं में पात्रता है वह किसी एक योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
 3. यह अधिसूचना म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी।

अजय कुमार नेमा, सचिव.